ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-4* Issue-1* April- 2019
Anthology : The Research

लोकतंत्र में वैचारिक स्वतंत्रता और पत्रकारिता

विनोद गजभिये
शा0 एस0 एस0 पी0
महाविद्यालय वारासिवनी
बालाघाट,म0 प्र0

अल्का हिरकने
शा0 एस0 एस0 पी0
महाविद्यालय वारासिवनी
बालाघाट,म0 प्र0

प्रस्तावना

अतीत से भविष्य की ओर होने वाला विकास जन चेतना जाग्रति का परिणाम है, पीटर जानसन के उद्धगार है।

"अंधेरे को कोसने से अच्छा है कि,एक दीप जलाया जाए"[1]

वर्तमान में ''महाषक्ति'' और 'विश्वशक्ति' के अर्थ और सन्दर्भ दोनो बदल गये है। सैनिक षक्ति को आर्थिक षक्ति पीछे धकेल रही है तथा 'ज्ञान' सबसे बड़ी षक्ति के रूप में उभर रहा है, इस कथन में सच छिपा है कि –

"दिमाक से ज्यादा सुन्दर कोई यंत्र नहीं "

यह हमारी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है, जिसके कारण व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ पुरूषार्थ कर अपने पर गर्व करता है।

मूल अधिकारों की सूची में अनुच्छेद 19(1) के अन्तर्गत अन्य नागरिक स्वतंत्रता के साथ–साथ भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान की गई है। ''प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय रखने और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।'' बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है –

''कण्ठ की स्वीधीनता पत्रकार के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।''[2]

भाषण की स्वतंत्रता का व्यापक अर्थ है, यह बात मुॅह से बोलकर कहने तक सीमित नही है बल्कि इससे लिखकर पत्र पत्रिकाओं में छपवाकर, इश्तिहार और चौपन्ने निकालकर दीवारों पर लिखकर चित्र या कार्टून बनाकर साहित्यिक रचनाओं में व्यक्त कर रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से लोगों तक पहुँचाकर रंगमंच या नुक्कड़ नाटक के द्वारा किसी भी तरह प्रकट कर सकते है। ''स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई नए रचनात्मक क्रिया कलापों और राष्ट्रहित में कर्तव्यों के परिपालन में पत्र ठोस भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, आर्थिक और औद्योगिक भूमिका का आयाम संचार की सुविधा एवं साक्षरता की वृद्धि के कारण पत्रों के पाठकों का महासागर उमड रहा हैं। अब पत्र स्वतः ''निर्वाक की वाणी'' सिद्ध हो रहे है।''[3]

विष्व में आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक परिदृष्य तेजी से बदल रहे है। ऐसे में इन परिवर्तनों का उचित एवं पूर्ण दायित्व पत्रकारिता पर होता है। अपने श्रेष्ठ उद्देष्यों को सभी समाचार पत्रों जैसे –

हिन्दुसतान टाइम्स, सहारा, दैनिक जागरण, पंजाब केषरी, राजपथ, अग्रभारत, सच का उजाला, अमर उजाला, बी.पी.एन.टाईम्स, कल्पतरू, मथुरा टाइम्स ब्रजगरिमा, दैनिक भाषकर, नवभारत, नवीन दुनिया, स्वतंत्रमत, हरिभूमि, आज तथा अकिंचन भारत आदि में अपने व्यक्तित्व एवं कृति सार्थकता का परिचय दिया है।

वर्तमान में समाचार पत्र पत्रिकाओं के साथ–साथ इन्टरनेट कनेक्टविटी इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से अपने विषाल विस्तार एवं महत्व के वृद्धता का परिचय दिया है।

लोकतंत्र में पत्रकारिता को कहा गया है, समाज के लिए एक ''रामबाण औषधि'' है इससे विष्वबंधुत्व की कल्पना को साकार तो नही किया ना ही इसने राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त कराके उसकी गरिमा को बढाया है, परन्तु अतीत की तुलना में बेहतर षासन व्यवस्था अवष्य प्रदान की है। इसलिए लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विषेष महत्व बताते हुए पत्रकारिता को लोकतंत्र की प्रेरणा षक्ति कहा गया है।

विचारों की स्वतंत्रता लोकतंत्रीय प्रक्रिया का आवष्यक तत्व है। इसका अर्थ है सार्वजनिक महत्व के मामलो पर अपनी व्यक्तिगत राय प्रकट करने का अधिकार। दूसरे षब्दो में कोई नागरिक सत्ताधारियो या सरकार की नीतियों और गतिविधियों के बारे में जो सोचता है, उसे व्यक्त करने में कोई अनुचित प्रतिबन्ध न लगा हो, इस अधिकार को अनेक दस्तावेज के अन्तर्गत इसीलिए स्थापित किया गया है।

''प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय रखने और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।''

प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, वह सैद्धान्तिक रूप से पूर्णतः स्वतंत्र है कुछ सदियों पूर्व जब निरंकुष राजाओ, सामंतों एवं तानाषाहों का षासन था, उस समय यह बात व्यवहारिक रूप में लागू नहीं होती थी, तब अधिकांष लोगो को अपने अधिकारो का पता ही नही था। तब जनता को न तो स्वतंत्रत रूप से कार्य करने का अधिकार था ना ही अपने विचारों को सार्वजनिक करने का। इसका परिणाम यह हुआ कि ये तानाषाह एवं राजा, ना समझ प्रजा का शोषण करते रहे धीरे–धीरे मानव सामाज तथा मीडिया में जागृति आती गई और ये सभी अपने अधिकारों एवं कर्तव्य के प्रति सचेत हुये।

आधुनिक युग में वैचारिक स्वतंत्रता के संदर्भ में पत्रकारिता का और अधिक महत्व हो गया है, क्योंकि विष्व के बहुत से राष्ट्रों में निरंकुष शासन समाप्त हो चुके हैं या समाप्ति के कगार पर हैं एवं अधिकांष राष्ट्रों में प्रजातांत्रिक सरकारों का गठन हुआ है। आज प्रत्येक व्यक्ति को विष्व के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक ज्ञान के साथ–साथ उसके मूलभूत अधिकारों का ज्ञान कराने हेतु मीडिया द्वारा सफल प्रयास किया जा रहा है।

वैचारिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना भी एक खास कला है जो सामान्य व्यक्तित्व के अंदर नहीं होती, वर्तमान में इस कला को विकसित करने के लिए व्यावसायिक स्तर पर कक्षाएं होती है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में विचारो की स्वतंत्रता के लिए पत्रकारिता की विषेष भूमिका है। इसलिए कहा गया है

''प्रेस, सरकार और जनता के बीच की कड़ी है'' इसलिए पत्रकारिता के निम्न गुण होना चाहिए –

1. जानकारी की पूर्णता ।
2. कर्तव्य के प्रति समर्पण।
3. अहम् से दूर ।
4. सम्पर्को की सुदृढ़ता।
5. पत्रकारिता सिद्धान्त का पालन।
6. सही निर्णय लेने की क्षमता।
7. स्वानुषासन (स्वनियंत्रण)
8. पारदर्षिता।

पत्रकारिता के सिद्धांत एवं कर्तव्य में यही खासियत है कि, अपने कार्य को बड़ी पारदर्षिता और कुषलता से पूरा किया जाता है। बषर्ते इसके बहुमूल्य गुण व्यक्ति के अंदर मौजूद हो इसलिए पत्रकारिता के संबंध में कहा जाता है कि –

निर्भय और निःषंक सर्वदा।
गुण–अवगुण सबके दरसाता,।।
वह नितान्त निष्पक्ष किसी से।
किंचित नहीं कभी डरता।।
ऊॅच–नीच का भेद भुलाकर।
सबकी जिज्ञासा का प्रतिफल।।
जिसका जैसा रूप यथावत।
तत्क्षण ही सम्मुख धर देता।।

लोकतंत्र शासन व्यवस्था के लिए यह पूर्ण उपकरण है, लोग जब शासन संबंधी समस्या के बारे में सोचते हैं तो आपस में उनकी चर्चा करते हैं। चर्चा से जानकारी बढ़ती है। कुछ भ्रांतियां भी दूर होती है, विचार शक्ति बढ़कर विकसित होती है, चर्चा से मालूम होती है। शासन व्यवस्था के दोष क्या है बल्कि वे यह भी अनुभव करते है कि वर्तमान व्यवस्था के कौन–कौन से तत्व उनके लिए उपयुक्त है जिन्हें सुदृढ़ करना चाहिए और कौन–कौन से बाधक है, जिन्हें दूर करना चाहिए इस तरह वे शासन के तत्वों को जनता तक पहुॅचाते है, कुछ जनता उनका समर्थन करती है, कुछ दूर करने की मांग करते हैं और इन्ही के कारण राजनीतिक प्रणाली को सुदृढ़ रखा जा सकता है। मीडिया के कारण शासन अपनी स्थिरता के लिए लोकमत का ध्यान रखने को बाध्य होती है।

पत्रकारिता के महत्वपूर्ण भूमिका के कारण प्रषासन की दक्षता में वृद्धि के साथ बेहतर प्रबंधन एवं नागरिकों को बेहतर सेवाएॅ उपलब्ध कराना।

इसमें उददे्श्य की भी श्रेष्ठता है, जैसे –

1. नागरिकों को शासन एवं शासन की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।
2. नागरिकों की प्रषासन में भागीदारी बढ़ाना।
3. इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से शासकीय विभागों तथा नागरिकों के बीच सार्थक संवाद एवं संपर्क स्थापित कराना। ''भारत के समाचार पत्र सरकारी प्रवक्ता नहीं बल्कि जनता की आवाज हैं इस प्रकार यहां के पत्रकार गणतंत्रात्मक राज्य की नैतिकता के सरंक्षण है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता से ही विभिन्न प्रकार के विचारों की समुचित अभिव्यक्तिकरण हो सकता है। और राज्य की असीमीत शक्तियों के मुकाबले व्यक्ति की रक्षा हो सकती है।''[4]

हम सुखी रहे और सब चाहे जैसे रहे यह घातक नीति अनेक विघटन उत्पन्न करती है। सबसे सुख में जो अपना सुख तलाश किया जाता है। वही सुख वास्तविक और टिकाउ होता है। मौस्सि गिन्सबर्ग ने अपनी कृति ''ऑन जस्टिस इन सोसायटी''(सामाजिक न्याय विचार और विवेचन) के अंतर्गत स्पष्ट किया है–

''कभी–कभी विचार की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अंतर किया जाता है। परन्तु यदि विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान न की जाये तो वह मुरझा जाता है।''[5]

इसीलिए ऋषि चितंन में युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य ने कहा है ।''जिस क्षण को हम व्यर्थ समझकर क्या पता वह ही हमारे लिए अपनी झोली में सुंदर सौभाग्य की सफलता लाया हो।''

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *मानव अधिकार सबके लिए– संपादक –अशोक कुमार मिश्रा पृष्ठ 153*

2. *प्रयोजन मूलक हिन्दी – संपादक मण्डल –डॉ. विनय दुबे, डॉ. हरिमोहन बुधौलिया, डॉ. शशि प्रभा पांडे पृष्ठ 62*
3. *वही पृष्ठ 55*
4. *वही पृष्ठ 63*
5. *राजनीतिक विचार विश्व कोष–डॉ. ओमप्रकाश गाबा पृष्ठ 77*
6. *ऋषि चिंतन के सानिध्य में युग ऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य पृष्ठ 83*